रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2002/फाल्गुन 10, 1923

No. 228] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2002/PHALGUNA 10, 1923

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2002

का.आ. 267(अ).—लोक सभा अध्यक्ष द्वारा भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन दिनांक 6 जनवरी, 2001 को दिया निम्नलिखित विनिर्णय, एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है :—

लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के नियम 6 के अन्तर्गत श्री सुकदेव पासवान तथा मोहम्मद अनवारूल हक, संसद सदस्यों के विरुद्ध संसद सदस्य तथा लोक सभा में राष्ट्रीय जनता दल के नेता डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा दायर याचिका के मामले में।

तेरहवीं लोक सभा के गठन के समय राष्ट्रीय जनता दल के विधायी दल के सात सदस्य थे जिसके नेता डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह थे।

2. 28 अप्रैल, 2001 को राष्ट्रीय जनता दल (जिसे इसमें इसमें पश्चात् रा. ज. द. कहा गया है) के सदस्यों—मोहम्मद अनवारूल हक और सर्वश्री सुकदेव पासवान तथा नागमणि ने 28 अप्रैल, 2001 के अपने संयुक्त पत्र द्वारा मुझे यह सूचित किया कि रा. ज. द. में विभाजन हो गया है तथा उक्त तीन सदस्यों ने मिलकर लोक सभा में रा. ज. द. (लोकतांत्रिक) का गठन कर लिया है। उसी दिन मुझे रा. ज. द. के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव का दिनांक 28 अप्रैल, 2001 का एक पत्र भी मिला जिसमें उन्होंने यह सूचित किया कि श्री नागमणि, संसद सदस्य को रा. ज. द. से निष्कासित कर दिया गया है।

3. मैंने 2 मई, 2001 को दोनों पत्रों की प्रतियां संसद सदस्य तथा लोक सभा में रा. ज. द. के नेता डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह को इस मामले में अपनी टिप्पणियां देने के लिए भिजवा दीं।

4. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिनांक 12 जुलाई, 2001 के अपने पत्र में यह निवेदन किया :—

(i) रा. ज. द. ने श्री नागमणि को 28 अप्रैल, 2001 को दल की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया और इसकी सूचना उसी दिन अध्यक्ष को भेज दी गई। इसके पश्चात् ही उसी दिन श्री नागमणि तथा दो अन्य सदस्यों ने अध्यक्ष को यह सूचित करते हुए एक पत्र भेजा कि हमने रा. ज. द. से अलग होने का निर्णय किया है।

अत: इससे दोनों पत्रों की प्राप्ति का समय नोट करना अनिवार्य हो गया है।

(ii) निष्कासित सदस्य असंबद्ध हो जाता है। इस प्रकार ऐसे सदस्य द्वारा एक ग्रुप के गठन का दावा वैध नहीं है।

(iii) परिणामत: श्री नागमणि, जिन्हें दो अन्य सदस्यों (मोहम्मद अनवारूल हक तथा श्री सुकदेव पासवान) के साथ निष्कासित कर दिया गया है, का यह दावा कि इससे विभाजन हो गया है, दसवीं अनुसूची के पैरा 3 के निबंधनों के अनुसार विभाजन के लिए एक वैध दावा नहीं है।

(iv) सदन से बाहर रा. ज. द. (लोकतांत्रिक) नाम से किसी भी राजनैतिक ग्रुप का गठन नहीं किया गया है। यहां तक कि बिहार विधान सभा में भी इस नाम से किसी भी ग्रुप का गठन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने ग्रुप की नीतियों, संविधान, नियमों/विनियमों आदि के संबंध में भी कोई सूचना नहीं दी है।

(v) इसके अलावा इन सदस्यों की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने के विचार से उनके साथ चल रही बातचीत भी अपने आप में एक प्रकार से दल परिवर्तन ही है।

5. 6 अगस्त, 2001 को मैंने डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह के अनुरोध पर व्यक्तिगत रूप से उनकी बात सुनी।

6. सुनवाई के दौरान डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिनांक 12 जुलाई, 2001 के अपने पत्र में किये गये निवेदन की पुष्टि करते हुए यह भी दावा किया कि मोहम्मद अनवारूल हक तथा श्री सुकदेव पासवान दूसरी पार्टी में शामिल हो गये हैं। चूंकि यह एक बिल्कुल ही नया दावा था, अतः उनसे अनुरोध किया गया कि वह इस संबंध में आवश्यक जानकारी लिखित रूप में दें।

7. 7 अगस्त, 2001 को डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् दलबदल विरोधी नियम कहा गया है) के नियम 6 के अधीन मोहम्मद अनवारूल हक और श्री सुकदेव पासवान, संसद सदस्यों के विरुद्ध एक याचिका दायर की।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् याची कहा गया है) ने अपनी याचिका में यह निवेदन किया :—

"(1) मोहम्मद अनवारूल हक और श्री सुकदेव पासवान (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्रत्यर्थी कहा गया है) रा. ज. द. छोड़कर भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल हो गए हैं जबकि विभाजन के उनके दावे (जिसमें श्री नागमणि भी उनके साथ शामिल थे) पर अभी निर्णय लिया जाना है।

(2) प्रत्यर्थियों के कार्य और उनके आचरण से यह सपष्ट है कि वे भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल हो गए हैं। चूंकि प्रत्यर्थियों की संख्या रा. ज. द. की कुल सदस्य संख्या का दो तिहाई नहीं है, इसलिए उन्हें दसवीं अनुसूची के पैरा 4 के अधीन संरक्षण प्राप्त नहीं है।

(3) याची ने रा. ज. द. की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने के लिए संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अधीन प्रत्यर्थियों की निरर्हता के लिए प्रार्थना की।"

8. बाद में याची ने 13 अगस्त, 2001 के अपने पत्र द्वारा यह अनुरोध किया कि उनकी याचिका में उनके द्वारा किए गए निवेदनों को रा. ज. द. के विभाजन के मामले में भी ध्यान में रखा जाए।

9. दल बदल विरोधी नियमों के नियम 7(1) के निबंधनों के अनुसार स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने के पश्चात् कि याचिका नियम 6 की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, मैंने दल बदल विरोधी नियमों के नियम 7(3)(क) के निबंधनों के अनुसार टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए याचिका की प्रतियां प्रत्यर्थियों को भिजवा दीं।

10. प्रत्यर्थियों ने दिनांक 27 अगस्त, 2001 को भेजे गए अपने एक जैसे दो पत्रों में दी गई टिप्पणियों में इस बात से इंकार किया कि वे भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी नाम की किसी नई राजनैतिक पार्टी में शामिल हुए हैं या उन्होंने उसका गठन किया है। उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल, 2001 को रा. ज. द. में ऊर्ध्व विभाजन हुआ और इसके परिणामस्वरूप उन्होंने श्री नागमणि के साथ एक पृथक राजनैतिक पार्टी अर्थात् राष्ट्रीय जनता दल (लोकतांत्रिक) का गठन किया। लोक सभा में रा. ज. द. की कुल सदस्य संख्या की तुलना में उनकी संख्या एक तिहाई से अधिक थी।

11. इस मामले पर विचार के मुद्दे इस प्रकार हैं कि :—

(i) क्या श्री नागमणि का रा. ज. द. से निष्कासन, जो पार्टी में विभाजन से पहले किया गया बताया गया है, कि इस मामले से कोई प्रासंगिकता है ?

(ii) क्या प्रत्यर्थियों और श्री नागमणि द्वारा रा. ज. द. के विभाजन का दावा दसवीं अनुसूची के पैरा 3 के निर्बंधनों के अनुसार वैध है ?

(iii) क्या प्रत्यर्थियों का भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी में विलय हुआ है ?

12. उपर्युक्त मुद्दों के बारे में किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए मैंने निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा :—

(क) रा. ज. द. में हुए विभाजन का दावा अप्रैल, 2001 में किया गया। तीन सदस्यों, जिन्होंने विभाजन का दावा किया, की संख्या लोक सभा में रा. ज. द. की विद्यमान सदस्य संख्या का एक तिहाई है।

(ख) तथापि, रा. ज. द. में विभाजन के दावे के बारे में निर्णय, याची से टिप्पणियां, जो लोक सभा में रा. ज. द. विधायी दल के नेता की हैसियत से उनसे मांगी गई थी, न मिलने के कारण लंबित है।

(ग) यदि याची को टिप्पणियां पहले ही प्रस्तुत कर दी जातीं तो उनसे याचिका दायर करने से काफी समय पहले रा.ज.द. में विभाजन के दावे पर निर्णय करने में आसानी होती।

(घ) इसके अतिरिक्त, विभाजन के दावे के बारे में याची द्वारा मेरे सम्मुख व्यक्तिगत रूप से अपने विचार रखने के अनुरोध के कारण भी इस मामले में निर्णय लेने में और विलंब हुआ।

मुद्दा संख्या (i) और (ii) (देखिए पैरा 11)

13. संविधान की अनुसूची दस में सदस्यों को उनकी राजनीतिक पार्टियों की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किए जाने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कोई उपबंध नहीं है। दसवीं लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा जनता दल के मामले में दिनांक 1 जून, 1993 को दिए गए विनिर्णय के फलस्वरूप लोक सभा में यह प्रथा रही है कि निष्कासित सदस्यों को लोक सभा में उनकी पार्टी-संबद्धता, पार्टी स्थिति, आदि में कोई परिवर्तन किए बिना अलग से बिठाया जाये।

अत: किसी सदस्य का उसकी राजनैतिक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासन लोक सभा में उसकी दलीय सम्बद्धता को प्रभावित नहीं करता है।

14. उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, श्री नागमणि के रा.ज.द. राजनैतिक पार्टी की सदस्यता से निष्कासन के बावजूद लोक सभा में रा.ज.द. विधायी दल की सदस्य संख्या में कोई पारिणामिक परिवर्तन नहीं होगा। परिणामत: इस मुद्दे की, कि क्या श्री नागमणि के रा.ज.द. से निष्कासन की सूचना श्री नागमणि तथा अन्य द्वारा किए गए रा.ज.द. में विभाजन के दावे से पूर्व प्राप्त हुई थी अथवा उसके बाद, कोई प्रासंगिता नहीं है।

अत: मुद्दा संख्या (i) का उत्तर 'ना' में है।

15. संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 3 के निबंधनों के अनुसार दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता से संबंधित उपबंध वहां लागू नहीं होते हैं जहां सदस्य यह दावा करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे ग्रुप का गठन किया है,जो एक गुट का प्रतिनिधित्व करता है तथा जो उनकी मूल राजनैतिक पार्टी में विभाजन के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया है तथा ऐसा ग्रुप उस विधायी दल की सदस्य संख्या के एक तिहाई से अन्यून सदस्यों से मिलकर बना है।

उक्त तीन सदस्य लोक सभा में रा.ज.द. की विद्यमान सदस्य संख्या, जो कि सात है, का एक-तिहाई है।

16. एकमात्र सुसंगत मुद्दा यह है कि क्या रा.ज.द. में विभाजन के दावे के समय जिन तीन सदस्यों ने दावा किया था, उनकी संख्या लोक सभा में रा.ज.द. की कुल सदस्य संख्या का एक-तिहाई है।

17. तदनुसार, मैंने 30 अगस्त, 2001 को यह विनिश्चय किया कि--(एक) सर्वश्री मोहम्मद अनवारुल हक, सुकदेव पासवान तथा नागमणि को कार्यात्मक प्रयोजनों के लिए लोक सभा में रा.ज.द. (लोकतांत्रिक) से सम्बद्ध माना जाए, और (दो) उन्हें सभा में अलग स्थान दिया जाये।

सदस्यों को लिखित रूप में मेरे इस विनिश्चय से अवगत कराया गया और लोक सभा में दलीय स्थिति में आवश्यक परिवर्तन किए गए।

अत: मुद्दा संख्या (ii) का उत्तर 'हां' में है।

मुद्दा संख्या (iii) (देखिए पैरा 11)

18. दो प्रत्यर्थियों ने अपनी टिप्पणियों (उपर्युक्त पैरा 10 में) में बताया है कि उन्होंने न तो भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी के नाम से किसी पार्टी का गठन किया है और न ही वे ऐसी किसी पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके अतिरिक्त, किसी भी सदस्य द्वारा लोक सभा में भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी के नाम से किसी भी पार्टी के गठन के बारे में कोई दावा नहीं किया गया है।

अत: याची द्वारा किए गए इस दावे में, कि प्रत्यर्थियों का 'भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी' में विलय हो गया है, कोई सार नहीं है।

उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मुद्दा संख्या (iii) का उत्तर 'ना' में है।

आदेश

19. "संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एम. सी. बालयोगी, अध्यक्ष, लोक सभा एतद्द्वारा यह विनिश्चय करता हूं कि डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह, संसद सदस्य द्वारा मोहम्मद अनवारुल हक तथा श्री सुकदेव पासवान, संसद सदस्यों के विरुद्ध दिनांक 7 अगस्त, 2001 को दी गई याचिका में कोई सार नहीं है तथा संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के निबंधनों के अनुसार मोहम्मद अनवारुल हक तथा श्री सुकदेव पासवान किसी निरर्हता से ग्रस्त नहीं हैं।

मैं, तदनुसार, याचिका को खारिज करता हूं।"

नई दिल्ली

दिनांक : 6 जनवरी, 2002

जी.एम.सी. बालयोगी, अध्यक्ष

[सं. 46/15/2001/टी]

जी.सी. मलहोत्रा, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2002

S.O. 267(E).—The following Decision dated 6 January, 2002 of the Speaker, Lok Sabha given under the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified :—

In the matter of petition filed by Dr. Raghuvansh Prasad Singh, MP and Leader of Rashtriya Janata Dal in Lok Sabha against Shri Sukdeo Paswan and Mohammad Anwarul Haque, MPs under rule 6 of the Members of Lok Sabha (Disqualification on Ground of Defection) Rules, 1985.

At the time of Constitution of the Thirteenth Lok Sabha, the Rashtriya Janata Dal Legislature Party had a strength of seven members with Dr. Raghuvansh Prasad Singh as its leader.

2. On 28 April, 2001 Mohammad Anwarul Haque and Sarvashri Sukdeo Paswan and Nagmani, members belonging to Rashtriya Janata Dal (hereinafter referred to as RJD) vide their joint letter dated 28 April, 2001, intimated me about split in RJD and formation of RJD (Democratic) party in Lok Sabha comprising of the said three members. On the same day a letter dated 28 April, 2001 was also received from Shri Laloo Prasad Yadav, President, RJD intimating me about expulsion of Shri Nagmani, MP from RJD.

3. I caused forwarding of copies of both the letters to Dr. Raghuvansh Prasad Singh, MP and leader of RJD in Lok Sabha on 2 May, 2001 for his comments in the matter.

4. Dr. Raghuvansh Prasad Singh vide his letter dated 12 July, 2001 made the following submissions :—

(i) RJD had expelled Shri Nagmani from the primary membership of the party on 28 April, 2001 and intimated about the same to Speaker on the same day. It was only thereafter that day that Shri Nagmani alongwith other two members addressed a communication to the Speaker intimating about their decision to split-away from RJD.

It, therefore, became imperative to take note of the time of receipt of both the communications.

(ii) An expelled member becomes unattached. Hence a claim by such a member of formation of a group was not legitimate.

(iii) Consequently the claim for split by Shri Nagmani, who had since been expelled, alongwith two other members (Mohammad Anwarul Haque and Shri Sukdeo Paswan) was not a valid claim for split in terms of para 3 of the Tenth Schedule.

(iv) No political group by the name of RJD (Democratic) had been formed outside the House. No group by that name had even been formed inside Bihar Vidhan Sabha. Besides, they had not given any intimation regarding the policies, constitution, rules/regulations etc. of their group.

(v) Moreover parleys were on by these members with NDA with a view to joining them, which itself was a form of defection.

5. On 6 August, 2001, a personal hearing was given by me to Dr. Raghuvansh Prasad Singh at his request.

6. During the hearing, while reaffirming the submissions made by him in his letter dated 12 July, 2001, Dr. Raghuvansh Prasad Singh also contented that Mohammad Anwarul Haque and Shri Sukdeo Paswan had merged with another party. Since it was an entirely new contention, he was requested to furnish the requisite information in writing.

7. On 7 August, 2001, Dr. Raghuvansh Prasad Singh filed a petition against Mohammad Anwarul Haque and Shri Sukdeo Paswan, MPs under rule 6 of the Members of Lok Sabha (Disqualification on ground of Defection) Rules, 1985 (hereinafter referred to as Anti Defection Rules).

Dr. Raghuvansh Prasad Singh (hereinafter referred to as petitioner) made the following submissions in his petition : —

"(1) Mohammad Anwarul Haque and Shri Sukdeo Paswan (hereinafter referred to as respondents) had left RJD and joined Bharatiya Loktantrik Party while a decision was yet to be taken on their claim for split (made alongwith Shri Nagmani).

(2) From the action and conduct of the respondents, it was clear that they merged with Bharatiya Loktantrik Party. Since the respondents do not constitute 2/3rd of the strength of RJD, they do not enjoy the protection under para 4 of the Tenth Schedule.

(3) Petitioner prayed for disqualification of the respondents under para 2(1)(a) of the Tenth Schedule to the Constitution for having voluntarily given up the membership of RJD."

8. Subsequently the petitioner vide his letter dated 13 August, 2001 had requested that the submissions made by him in his petition might also be taken note of in the case of split in RJD.

9. After having satisfied myself in terms of Rule 7(1) of the Anti-Defection Rules that the petition complied with the requirements of rule 6, I caused copies of the petition to be forwarded to the respondents in terms of Rule 7(3) (a) of the Anti Defection Rules for furnishing their comments.

10. The respondents in their comments furnished vide their two identical letters dated 27 August, 2001 denied either joining or forming any new political party by the name of Bharatiya Loktantrik Party. They stated that there was a vertical split in RJD on 28 April, 2001 and consequently they together with Shri Nagmani formed a separate political party viz. Rashtriya Janata Dal (Democratic). They constituted more than 1/3rd of the strength of RJD in Lok Sabha.

11. The issues for consideration in this case are whether :—

(i) the fact of expulsion of Shri Nagmani from RJD, stated to have taken place before split in the party, has relevance in this case.

(ii) the claim made by the respondents and Shri Nagmani of a split in RJD is valid in terms of para 3 of the Tenth Schedule.

(iii) the respondents had merged with Bharatiya Loktantrik Party.

12. For arriving at a decision on the above issues, I took note of the following facts :—

(a) The claimed split in RJD took place in April, 2001. The three members who claimed the split do constitute one-third of the existing strength of RJD in Lok Sabha.

(b) The decision on the claim of split in RJD has, however, been pending for want of comments from the petitioner which were called for from him in his capacity of the leader of RJD legislature party in Lok Sabha.

(c) Had the comments of the petitioner been furnished earlier, the same would have facilitated taking decision on the claim for split in RJD well before filing of the petition.

(d) Furthermore, the request by the petitioner for expressing his views on claim for split to me in person, further delayed the decision in the case.

Issue numbers (i) & (ii) (vide para 11)

13. Tenth Schedule to the Constitution does not contain provisions to cope with situations arising out of expulsion of members from primary membership of their political parties. Consequent upon the decision of the Speaker, Tenth Lok Sabha in the Janata Dal case, dated 1 June, 1993, the practice in Lok Sabha has been to seat the expelled members separately without any change in their party affiliation, in party position etc., in Lok Sabha.

Hence an expulsion of a member from the primary membership of his political party does not affect his party affiliation in Lok Sabha.

14. In view of the foregoing, despite expulsion of Shri Nagmani from the membership of RJD political party, there would not be any consequential change in the strength of RJD legislature party in Lok Sabha. Consequently the issue whether intimation of expulsion of Shri Nagmani from RJD was received earlier than claim of split in RJD by Shri Nagmani and others or subsequently, had no relevance.

The issue number (i) is, therefore answered in negative.

15. In terms of paragraph 3 of the Tenth Schedule to the Constitution, the provisions regarding disqualification on ground of defection do not apply where members make a claim that they constitute a group representing a faction which has arisen as a result of split in their original political party and such group consists of not less than one-third of the members of such Legislature Party.

The said three members do constitute one-third of the existing strength of RJD in Lok Sabha, which is seven.

16. The only point which is relevant is that at the time of claim for split in RJD, the three members who made the claim did constitute 1/3rd of the strength of RJD in Lok Sabha.

17. I accordingly on 30 August, 2001 decided to — (i) treat Sarvashri Mohammad Anwarul Haque, Sukdeo Paswan and Nagmani, as belonging to RJD (Democratic) in Lok Sabha, for functional purposes, and (ii) seat them separately in the House.

691 GI/02-2

The members were intimated in writing about my decision and necessary changes were made in party position in Lok Sabha.

The issue number (ii) is, therefore, answered in affirmative.

Issue number (iii) (vide para 11)

18. The two respondents in their comments (at Para 10 supra) stated that they had neither formed any political party by the name of Bharatiya Loktantrik Party nor joined any such Party. Besides no claim has been made by any member regarding formation of any party by the name Bharatiya Loktantrik Party in Lok Sabha.

Hence the contention made by the petitioner that the respondents had merged with 'Bharatiya Loktantrik Party' has no merit.

In view of the above discussion, issue number (iii) is answered in negative.

ORDER

19. "In exercise of the powers conferred upon me under paragraph 6 of the Tenth Schedule to the Constitution. I, G.M.C. Balayogi, Speaker, Lok Sabha, hereby decide that the petition dated 7 August, 2001 given by Dr. Raghuvansh Prasad Singh, MP against Mohammad Anwarul Haque and Shri Sukdeo Paswan, MPs has no merit and Mohammad Anwarul Haque and Shri Sukdeo Paswan have not incurred any disqualification in terms of paragraph 2(1)(a) of the Tenth Schedule to the Constitution.

I accordingly dismiss the petition."

New Delhi
Dated the 6th January, 2002

G.M.C. BALAYOGI,
Speaker

[No. 46/15/2002/T]
G. C. MALHOTRA, Secy. General

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.